"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2020—फाल्गुन 2, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 अक्टूबर 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुनील कुमार कुजूर, भा.प्र.से. (1986), मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31-10-2019 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप होने वाले रिक्त पद पर श्री राजेन्द्र प्रसाद मण्डल, भा.प्र.से. (1987), अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विकास आयुक्त, महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), रायपुर अपर मुख्य सचिव, वन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

2. श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. (1983), अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, अटल नगर नवा रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, अटल नगर नवा रायपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्री चित्तरंजन कुमार खेतान, भा.प्र.से. (1987), अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

4. डॉ. आलोक शुक्ला, भा.प्र.से. (1986), प्रमुख सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, विज्ञान एवं प्रैद्योगिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए महानिदेशक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

5. श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

6. श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-निवेश आयुक्त, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) (मुख्यालय दिल्ली) को केवल प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग एवं परिवहन आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए प्रमुख सचिव, वन विभाग का अतिक्ति प्रभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत रहेगा.

7. डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995), प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, कृषि विभाग (स्वतंत्र प्रभार-उद्यानिकी, मंडी बोर्ड एवं दुग्ध महासंघ) तथा आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन नई दिल्ली को श्री के.डी.पी. राव, भा.प्र.से. (1988), कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को सेवानिवृत्ति दिनांक से कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग एवं आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

8. डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002), सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अतिरिक्त प्रभार सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, परिवहन विभाग एवं परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

9. श्री भुवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006), विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 01-03/2018/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री पी.व्ही. नरसिंग राव, (1987) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद एवं वेनतमान अनुसूचि-III के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 16 (रु. 2,05,400-2,24,400) पर पदोन्नत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणवीर धम्मशील, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/22821/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	सिंघाली	2.061 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 12-02-2020 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन सिंघाली नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	18 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	18 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित उपाए किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/22825/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	जमनीमुडा	1.443 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 13-2-2020 को समय 2.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन सुक्लाखार पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	16 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	16 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित उपाए किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

प्रारूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/22831/भू–अर्जन/2019.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	अभयपुर	2.737 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 12–2–2020 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन सिंघाली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	33 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	33 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित उपाए किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 28 जनवरी 2020

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/2004/भू-अर्जन/2020.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	धवईपुर	1.120 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के वितरक नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 17-2-2020 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन धवईपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के वितरक नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	17 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	17 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित उपाए किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/13/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	दबेना प.ह.नं. 10	0.90	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	दबेना तालाब-2 के व्यपवर्तित सड़क निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/15/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	अभनपुर प.ह.नं. 21	1.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	दुधावा दांयी तट नहर के लघु नहर क्रमांक 03 निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/21/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	धनेसरा प.ह.नं. 20	2.78	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	दुधावा दांयी तट नहर के लघु नहर क्रमांक 05 निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/22/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	पेन्ड्रावन प.ह.नं. 21	0.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	दुधावा दांयी तट नहर के लघु नहर क्र. 03 निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/24/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	भिरौद प.ह.नं. 21	1.43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	दुधावा दांयी तट नहर के लघु नहर क्रमांक 02 निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्रमांक/25/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	धनेसरा प.ह.नं. 20	2.60	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कांकेर.	दुधावा दांयी तट नहर के लघु नहर क्रमांक 06 निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्रमांक/01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-रजखेता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.12 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1073	0.02
1074	0.02
1076/1	0.08
1083	0.04
1085/1	0.18
1085/2	0.04
1087/3	0.01
1087/4	0.06
1089/3	0.05
1089/4	0.02
1089/5	0.06
1089/6	0.02
1292	0.06
1299	0.05
1294	0.11
1302	0.01
1076/2	0.05
1298	0.04
1298/2	0.06
1300	0.08
1303	0.06
योग 17	1.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बायपास वाड्रफनगर योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्रमांक/01/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-कोल्हुआ, कोटराही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.39 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1687/4	0.03
1688	0.10
126	0.26
योग 3	0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बायपास वाड्रफनगर योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्रमांक/02/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-कछिया-चलगली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	264/2	0.18
	264/1	0.15
	443	0.04
योग	3	0.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बायपास वाड्रफनगर योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्रमांक/02/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-वाड्रफनगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.66 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	147/1	0.02
	147/2	0.02
	147/3	0.02
	148/1	0.02
	148/2	0.03
	148/3	0.03
	148/4	0.01
	148/5	0.01
	1328/1	0.04
	1328/2	0.04
	1334/2	0.10
	1334/4	0.06
	1338	0.05
	1334/3	0.06
	1339	0.06
	1340/2	0.01
	1341/1	0.02
	1340/3	0.03
	1341/2	0.01
	1340/4	0.02
योग	15	0.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बायपास वाड्रफनगर योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 60/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भिखारीमाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.366 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	151/5	0.118
	70/31	0.012
	131/1	0.060
	50/2	0.164
	68	0.012
योग	05	0.366

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 61/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पतरापाली (पूर्व)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.529 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
568/4	0.033
558/3	0.024
541/3	0.101
541/7	0.024
87/7	0.012
73/1	0.010
75/2	0.021
75/7	0.016
504/5	0.057
87/4	0.012
503/5	0.010
503/6	0.010
503/13	0.011
503/11	0.010
503/12	0.010
541/6	0.018
541/8	0.008
541/12	0.041
503/4	0.020
503/7	0.020
503/9	0.020
503/10	0.018

	(1)	(2)
	503/14	0.023
योग	23	0.529

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 62/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-गोपालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.145 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
65/2ख	0.089
65/5	0.032
221	0.008
100/1	0.016
योग 04	0.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 64/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-सम्बलपुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.316 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
217/1	0.105
217/4	0.049
222/1	0.016
217/6	0.029
218/1	0.024
219/1	0.077
213/3क	0.016
योग 07	0.316

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

गृह एवं जेल विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2020

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक 105/गृह, जेल/2020.—Certified that we have in the fore/afternoon of this day respectively made over and received charge of the office of ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, HOME, JAIL, PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT/DEVELOPMENT COMMISSIONER/D.G., TPP&RDI, NIMORA in pursuance of order No. ई-1-12/2019/एक-2 dated 14-01-2020 and that the officer receiving charge travelled during joining time on.. 15-01-2020 (mention dates).

हस्ता./-
अवर सचिव.

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

कांकेर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/स्था./2019/5004(A).—छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्र. .... भा.व.से.) ...../...../2019 एवं मुख्य वनसंरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर के आदेश क्रमांक/1711 दिनांक 21-06-2019 के पालन में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वनमण्डल अधिकारी, कांकेर वनमण्डल कांकेर का प्रभार दिनांक 12-07-2019 को अपरान्ह को ग्रहण कर लिया गया है.

क्रमांक/स्था./2019/5004(A).—Certified that in according with the Govt. of Chhattisgarh Forest Department Mahanadi Bhawan Naya Raipur Order No. F ..... (IFS) Date ...../...../2019 & CCF Kanker Order No. 1711 Dt. 21-06-2019 Shri Shri IMOTEMSU AO, (I.F.S.) Make over to Shri RAM AAVTAR DUBEY (I.F.S.) charge of the D.F.O. Kanker on after noon Dated 12-07-2019 that the office receiving charge.

राम अवतार दुबे,
वन मण्डल अधिकारी.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2020

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक 153/प्र.स/226/2020.—Certified that we have in the fore/afternoon of this day respectively made over and received charge of the office of Principal Secretary, School Education Department in pursuance of GAD order No. E 1-02/2020/1-2, dated 20-01-2020 and that the officer receiving charge travelled during joining time on 21-01-2020 on forenoon (mention dates).

हस्ता./-
अवर सचिव.

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2020

क्रमांक/5207/प्रशा./स्था./2020.—छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2 नवा रायपुर दिनांक 20-01-2020 के अनुसार डॉ. आलोक शुक्ला भा.प्र.से. द्वारा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर एवं पदेन अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर का कार्यभार दिनांक 21-01-2020 को ग्रहण कर लिये हैं.

अत: कृपया भविष्य में अध्यक्ष छ.ग.मा.शि. मण्डल रायपुर एवं पदेन अध्यक्ष छ.ग. राज्य ओपन स्कूल रायपुर से संबंधित पत्र व्यवहार निम्नांकित पते पर करने का कष्ट करें.

डॉ. आलोक शुक्ला भा.प्र.से. (1986)
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
कार्यालय का दूरभाष नं.— 0771-2445321, 2437002
फैक्स नं. — 0771-2429385

प्रोफेसर व्ही. के. गोयल,
सचिव.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 4 फरवरी 2020

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

रा.प्र.क्र/166/अ.वि.अ./01/अ-82/2019-20.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके लिए उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर, जिला-बस्तर की अधिसूचना क्रमांक/1803/अ.वि.अ./अधिसूचना/2019-20 जगदलपुर दिनांक 26-12-2019 (छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-एक में दिनांक 10 जनवरी 2020 को पृष्ठ क्रमांक 77 एवं 78 में प्रकाशित) द्वारा उक्त अधिसूचना में संलग्न अधिसूची में विनिर्दिष्ट एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट, नगरनार संयंत्र से जल परिवहन हेतु स्थाई आवासीय परिसर ग्राम धनपुंजी, प.ह.नं. 28, तह.-जगदलपुर, जिला-बस्तर तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 जनवरी 2020 को प्रकाशित की गई है. कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को दी गई है, और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से कोई आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करता है कि इस अधिसूचना की संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि का उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

क्र.	तहसील/जिला	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जगदलपुर, जिला-बस्तर	धनपुंजी	537	0.033
2.		प.ह.नं. 28	538	0.036
3.			539/1	0.015
4.			539/2	0.015
5.			542	0.058
6.			543/1	0.023
7.			543/2	0.023
8.			544	0.042
9.			545	0.108
10.			546	0.099
		योग	**10**	**0.452**

जी. आर. मरकाम,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं सक्षम प्राधिकारी.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
डी. के. एस. भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ 37-01/तीन(एक)-3/पंचा.निर्वा./समय-अनुसूची/2019/3415.—राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 37-01/तीन (एक)-3/पंचा.निर्वा./समय-अनुसूची/2019/3412, दिनांक 23-12-2019 के प्रथम पैरा के पश्चात् दर्शित कंडिका (4) के बाद कंडिका (5) निम्नानुसार जोड़ा जाता है.

(5) ऐसी पंचायतें जहां पद रिक्त है, के मामले में उपनिर्वाचन ;

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशनुसार,

सुश्री जिनेविवा किण्डो,
सचिव.